पंचम् विकास पत्रिका

विकास और स्वशासन पर संवाद हेतु समर्थन द्वारा प्रकाशित

वर्ष : 01 अंक : 03 जनवरी 2021 परस्पर संपर्क हेतु

समर्थन ने जमीनी स्तर पर क्रियान्वित की ग्राम पंचायत विकास योजना की प्रक्रिया

पंचायत राज व्यवस्था के माध्यम से लागू स्थानीय स्वशासन में गांव के फैसले ग्रामवासियों द्वारा लिए जाते हैं। इससे ग्रामवासियों की जरूरत के अनुसार गांव का विकास होता है। इसके लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसे ''ग्राम पंचायत विकास योजना'' कहा जाता है। सरकार द्वारा इस संबंध में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत के सभी लोगों की सहभागिता से ग्राम पंचायत विकास योजना बनाई जाती है। इसमें ग्राम पंचायत के सभी गांवों और मोहल्लों में रहने वाले सभी तबको की भागीदारी जरूरी है। समर्थन द्वारा मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस प्रक्रिया को जमीनी स्तर पर लागू करने का प्रयास किया गया। यहां प्रस्तुत है समर्थन द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया, जिससे सामने आई सीख सभी के लिए उपयोगी है।

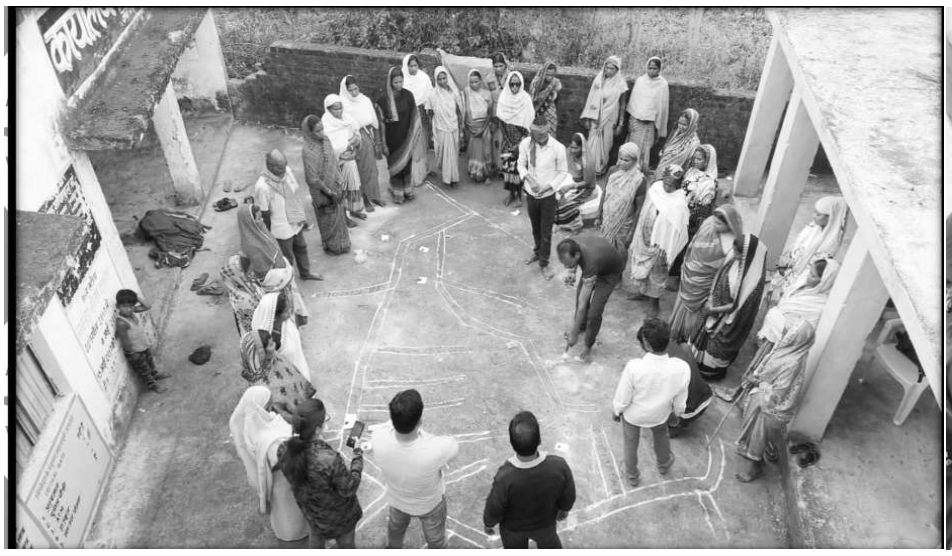

ग्राम पंचायत विकास योजना की पहली सीढ़ी गांव के सभी लोगों द्वारा मिलकर पंचायत में उपलब्ध संसाधनों का आकलन करना है। इससे गांव एवं पंचायत की जरूरत का पता चलता है और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों की उपलब्धता का भी पता चलता हैं। इसके लिए सभी ग्रामवासी मिलकर जमीन पर गांव का एक नक्शा बनाते हैं। नक्शे में यह दर्शाया जाता है कि कहां कौन से संसाधन है और कहां किन संसाधनों की जरूरत है। इसी के साथ ही किए जाने वाले कार्यों की प्राथमिकता भी तय की जाती है।

बड़वानी जिले की ग्राम पंचायत उपला में समर्थन द्वारा जमीन पर गांव का नजरी नक्शा पंचायत प्रतिनिधि, ग्राम संगठन के सदस्यों एवं युवा साथियों की मदद से बनाया गया। इस प्रक्रिया में महिला स्वयं सहायता समूहों की मदद भी ली गई। समूह की महिलाओं ने नक्शा बनाने की प्रक्रिया में भागीदारी की और समस्याओं एवं जरूरतों की पहचान की। साथ ही समस्याओं को हल करने के उपाय तलाशे और प्राथमिकता भी तय की। यानी यह तय किया गया कि कौन सी समस्या सबसे पहले हल करना है?

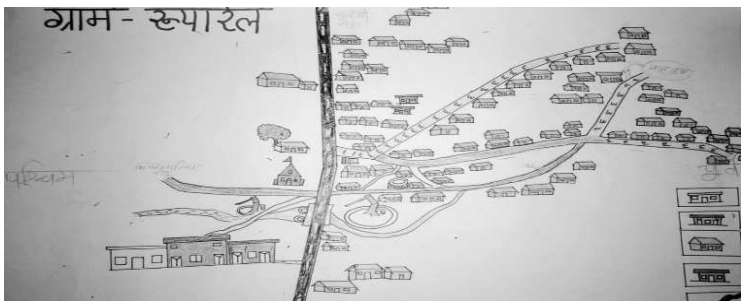

समर्थन की इस प्रक्रिया के अंतर्गत थांदला जनपद पंचायत के ग्राम गोरियाखंदन में ग्रामीणों के सहयोग से पीआरए टूल्स (यानी जमीन पर नजरी नक्शा बनाकर संसाधनों और जरूरतो को पहचानने का प्रयास किया गया। इसके लिए झाबुआ जिले के थांदला एवं पेटलावद के जनपद पंचायत भवन में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत के सीआरएस, फैसिलिटेटर एवं विभागीय कर्मचारियों का प्रशिक्षण किया गया। प्रशिक्षण में मुख्य रूप से मिशन अंत्योदय एप्स, जीपीडीपी कार्ययोजना प्रक्रिया, विशेष ग्रामसभा का महत्व, वातवरण निर्माण के साथ मानचित्र, सामाजिक मानचित्र, संसाधन मानचित्र, भ्रमण करना आदि प्रक्रिया के बारे में बताया गया।

डिंडौरी जिले की जनपद पंचायत अमरपुर के ग्राम जलदामुड़िया और बहेरा में नियोजन दल और सक्रिय लोगों के सहयोग से ग्राम विकास योजना तैयार करने हेतु मुद्दों पर चर्चा गई तथा प्राथमिकता तय की गई। जिसमें सरपंच, पंच, युवा, ग्राम संगठन के सदस्य और बदलाव दीदियों ने भाग लिया।

इसी जिले के ग्राम मारगांव और पाटन में ग्राम संगठन द्वारा महिला समूहों के साथ सामाजिक सुरक्षा और आजीविका पर केन्द्रित योजना बनाई गई। इसके लिए गांव के मानचित्र का निर्माण किया गया। इसके दूसरे चरण में सभी समूहो की योजना को जोड़कर ग्राम संगठन की योजना बनाई गई और उसी बैठक में दीदियों का चयन किया गया, जो इसे ग्रामसभा में प्रस्तुत और वाचन करेगी। इस तरह समर्थन द्वारा मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में ग्राम पंचायत विकास योजना की प्रक्रिया को जमीनी स्तर पर लागू किया गया, जिसकी सीख सभी के लिए उपयोगी होगी।

ग्राम पंचायतों की पांच वर्षीय कार्ययोजना की तैयारी

भोपाल। मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश की ग्राम पंचायतों की पांच वर्षीय कार्ययोजना बनाने की तैयारी की जा रही है। पिछले दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा विडियो कांफ्रेंस में यह निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों द्वारा वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक के लिए कार्ययोजना बनाई जाएगी। इस घोषणा के बाद छतरपुर जिला पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारी द्वारा जिले की ग्राम पंचायतों को पांच वर्षीय कार्ययोजना बनाने के निर्देश जारी किए गए।

ग्राम पंचायतों को जारी निर्देश अनुसार उन्हें यह तय करना है कि वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 की अवधि में उन्हें अपनी पंचायत क्षेत्र में क्या काम करने हैं और उनके लिए किन एवं कितने संसाधनों की जरूरत होगी। शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार प्रत्यैक ग्राम पंचायत को पांच वर्षों की अवधि में किए जाने वाले कार्यों की पहचान करनी है तथा वे कार्य किन योजना के अंतर्गत होंगे एवं उनकी लागत क्या होगा? इस आशय का आकलन करके जनपद पंचायत को प्रस्तुत किए जाने का निर्देश दिया गया है।

कैसी साकार होगी सपने की पंचायत? : पांच वर्षीय कार्ययोजना पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामवासियों के लिए एक अवसर है, अपनी पंचायत का सपना देखने का। इस दिशा में सबसे पहले यह सोचना होगा कि आने वाले पांच वर्षों में हम अपनी ग्राम पंचायत को कैसा देखना चाहते हैं? यानी हमें अपनी ग्राम पंचायत के लिए एक सपना देखना होगा कि वहां क्या सुविधाएं होनी चाहिए, लोगों का जीवन कैसा होना चाहिए? गांव के सभी लोग कैसे खुशहाल जिन्दगी जी सके? गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, रोजगार एवं आजीविका कैसी हो? इन सब सवालों का उत्तर तय करके यह देखना होगा कि ग्राम पंचायत के पास कितने संसाधन हैं तथा कितने और संसाधनों की जरूरत होगी।

यह स्पष्ट है कि ग्राम विकास के लिए शासन द्वारा कई योजनाएं संचालित की जाती है और उन योजनाओं की राशि ग्राम पंचायत को प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत पंच परमेश्वर योजना, 15 वां वित्त आयोग की राशि तथा मनरेगा शामिल है। इनके अंतर्गत प्रदेश की प्रत्यैक ग्राम पंचायत को औसतन 30 लाख से 50 लाख रूपए की राशि प्रतिवर्ष प्राप्त होती है। इसके अलावा विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजना की राशि सीधे हितग्राहियों को पहुंचती है। किन्तु जितनी राशि ग्राम पंचायतों

(शेष पेज 7 पर)

गतिविधियां

सचेत दीदियों ने समझी विभागों की कार्य प्रक्रिया

सचेत परियोजना के अंतर्गत राजपुर जनपद क्षेत्र के 25 गांवों की 40 सचेत दीदियों ने ब्लाक स्तरीय कार्यालयों का भ्रमण किया

प्रवेश वर्मा द्वारा

राजपुर। बड़वानी जिले के राजपुर जनपद क्षेत्र में सचेत परियोजना के अंतर्गत महिलाएं गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इन्हें सचेत दीदी कहा गया है। गांवों में सक्रिय सचेत दीदी स्कूल, अस्पताल, आंगनवाड़ी को बेहतर बनाने एवं स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है। समर्थन द्वारा सचेत दीदियों को ग्राम विकास संबंधित मुद्दों की जानकारी देने के लिए क्षमतावर्धन प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इसी कड़ी में पिछले दिनों सचेत दीदियों द्वारा शासकीय कार्यालयों में भ्रमण का आयोजन किया गया। भ्रमण के दौरान राजपुर ब्लाक मुख्यालय पर स्थित महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग आदि का भ्रमण कर वहां की कार्य प्रक्रिया जानी और यह समझा कि इन विभागों के माध्यम से वे अपने गांव में विकास के किन कामों को अंजाम दे सकती है।

भ्रमण से पूर्व 9 फरवरी को राजपुर में सचेत दीदियों की तैयारी बैठक का आयोजन किया गया। सभी सहभागियों को 5 छोटे समूह में बांटा गया। समूहों द्वारा विभाग के अधिकारियों से चर्चा की गई।

महिला एवं बाल विकास विभागः यहां कार्यालय प्रमुख कृष्णा स्वामी मेडम ने महिलाओं और बच्चों संबंधी योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने योजनाओं की पात्रता के नियम बताएं तथा योजनाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया भी बताई। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में 15 अगस्त 1086 को महिला एव बाल विकास संचालनालय का गठन किया गया। महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित समस्त योजनाएं आदिम जाति कल्याण विभाग और पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग से इस संचालनालय को हस्तान्तरित की गई। महिला एवं बाल विकास विभाग के हितग्राही समाज के कमजोर वर्ग, महिलाएं और बच्चे हैं, जिनके विकास एवं कल्याण का कार्य आसान एवं अल्प अवधि में पूरा होने वाला नहीं है। विभाग की कई योजनाओं का विस्तार हुआ हैं, वहीं लाडली लक्ष्मी योजना, अटल बाल मिशन, समेकित बाल संरक्षण योजना जैसी योजनाएं संचालित की जा रही है। इससे समाज में महिलाओं की स्थिति में निरंतर सुधार हुआ है, महिलाओं में अपने अधिकारों व हितों के प्रति जागरुकता आई है और

बच्चों के कुपोषण में कमी आई है।

स्वास्थ्यः हमें जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। ये ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। अगर हमारे खाने में पोषक तत्वों की कमी हो जाए तो हमारे शरीर के साथ हमारे जीवन पर भी खराब प्रभाव पड़ता है। ये हमारे स्वास्थ्य, व्यवहार के साथ-साथ संपूर्ण विकास को प्रभावित करता है।

अधिकतर लोग यह समझते हैं कि जिन लोगों को पौष्टिक भोजन नहीं मिलता केवल वे ही कुपोषण का शिकार होते हैं। लेकिन पौष्टिक भोजन मिलने के बावजूद अगर आपकी खाने-पीने से जुड़ी आदतें ठीक नहीं हैं तो आप भी कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। जैसे हरी सब्जियां अगर भाप में पकाकर खाई जाएं तो उनसे सबसे ज्यादा पोषण मिलता है। लिहाजा हम जो खा रहे हैं, उससे सबसे ज्यादा पोषण किस रूप में मिलेगा उसका ध्यान रखना भी जरूरी है। कुपोषण का खतरा पुरुषों के बजाय महिलाओं में ज्यादा होता है , वहीं वयस्कों के बजाय बच्चे इसका शिकार ज्यादा होते हैं।

कृषि विभाग : इस विभाग का मुख्य कार्य कृषि क्षेत्र के विविध प्रयासों का कार्यान्वयन है, जिसका लक्ष्य प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन एवं संरक्षण, ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं द्वारा आधार स्तरीय ऋण प्रवाह को बढ़ाना, वृद्धिशील कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता, ग्रामीण रोजगार का सृजन तथा ऋण एवं अनुदान सहायता के माध्यम से ग्रामीण गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। समय—समय पर बनाई गई विविध नीतियों के माध्यम से इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की ज़िम्मेदारी इस विभाग पर है। आजीविका की वैकल्पिक सुविधा प्रदान कर कृषि पर ग्रामीण भारत की अत्यधिक निर्भरता को कम करने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण कृषितर क्षेत्र का संवर्धन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा छोटे और सीमांत किसान तथा कृषि से संबंधित मजदूरों का शहरी क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में पलायन को भी रोका जा सकता है।

पशुपालन : पशुपालन व्यवसाय सबसे पुराना व उन्नत व्यवसाय रहा है। पशुपालन के बिना किसानों व बागवानों का गुजारा मुश्किल है, क्योंकि इससे हमें अपने गुजारे व रोजगार के लिए दूध, मांस, अंडे, ऊन व खाले मिलती है। इसके अलावा किसानों व बागवानों को खेतों व बगीचों के लिए बहुमूल्य उर्वरक खाद मिलती हें। गौ पालन भी आदिवासी समुदाय में समान रूप से किया जाता है, बल्कि गाँव में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन दूरदराज के गांवों में होता है।

आनलाइन देखें मनरेगा की जॉब कार्ड सूची

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के अंतर्गत प्रत्यैक ग्रामवासी को वर्ष में 100 दिनों के रोजगार का अधिकार दिया गया है। इसके लिए हर परिवार का जॉब कार्ड बनाया गया है।

(शेष पेज 6 पर)

मनरेगा जॉब लिस्ट में अपना नाम जांचने के लिए आप हमारे द्वारा बताये गए आसान से स्टेप्स अपनाकर अपना नाम जॉब लिस्ट में जाँच सकते हैं। स्टेप्स इस प्रकार है –

- **सबसे पहले आपको नरेगा की आधिकारिक वेबसाइट nrega.nic.in पर जाना होगा या ऊपर दी गयी स्टेट की लिंक पर क्लिक करें।**

- **होम पेज पर आपको रिपोर्ट का सेक्शन दिखाई देगा।**

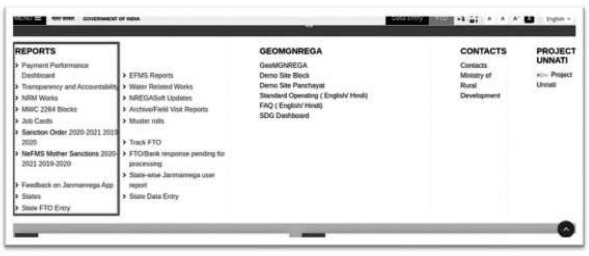

- **वहां आपको NREGA Job Card की लिंक दिखाई देगी।**

- **लिंक पर क्लिक करें।**
- **अब आप मध्य प्रदेश राज्य की लिंक पर क्लिक करें।**
- **अब ओपन हुए पेज पर आप अपना डिस्ट्रिक, ब्लॉक और पंचायत सेलेक्ट करना होगा और सबमिट बटन पर क्लिक करें।**
- **लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी।**
- **एमपी नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट 2021 में अपने नाम की जाँच करें।**

जल जीवन मिशनः जलप्रबंधन और संरक्षण में समुदाय की भागीदारी का मिशन

इन्दौर। पानी हम सबके लिए जरूरी है, किन्तु पानी को लेकर जागरूकता और जानकारी की जरूरत है। पानी को लेकर जानकारी के कई आयाम है, जैसे पानी की गुणवत्ता, यानी पानी कैसा है? पीने योग्य है या नहीं? पानी में कौन से शामिल है? इसके साथ ही पानी का संरक्षण एवं प्रबंधन आदि। एक बेहतर जल व्यवस्था के लिए इन सभी आयामों पर काम करने की जरूरत है। समर्थन द्वारा मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलो में जल जीवन मिशन के अंतर्गत उपरोक्त आयामों पर जन सहभागिता के साथ काम किया जा रहा है।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत जन सहभागिता कायम करने की दिशा में जन संवाद की खास भूमिका है। जनवरी माह में इन्दौर जिले की सांवेर जनपद पंचायत से जुड़े ग्राम अलवासा में रात्रि जल चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें पंचायत प्रतिनिधि एवं ग्रामीण उपस्थित हुए। इस दौरान जल जीवन मिशन योजना की जानकारी दी गई एवं पानी की गुणवत्ता के बारे में समझाया गया। साथ ही जल जीवन मिशन में भूमिका पर विस्तार से बात हुई।

इसी कड़ी में सीहोर जिले के बरखेड़ी में

जल जीवन मिशन के अंतर्गत पंचायत प्रतिनिधियों, समिति सदस्यों का एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन पिछले दिनों किया गया। प्रशिक्षण में 3 जनपद पंचायतों की 34 ग्राम पंचायतों के 126 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में जल जीवन मिशन के दिशानिर्देशों के बारे में समर्थन के श्री जीत परमार ने विस्तार से बताया गया।

इस दौरान ग्राम पंचायत सतपिपालिया के सरपंच श्री मंगलेश वर्मा ने अपनी ग्राम पंचायत में नल जल योजना के सफल क्रियान्वयन के अनुभव साझा किए। इसके साथ ही ग्राम पंचायत राजूखेड़ी के समिति सदस्यों द्वारा 15 सालों से संचालित सफल नल जल योजना के अनुभव प्रस्तुत किए गए। ग्राम पंचायत आमला रामजीपुरा के सरपंच श्री कैलाशचंद्र ने कहा कि समुदाय की सहभागिता से ही पंचायतों का विकास हो सकता है। ग्राम पंचायत धबोटी के उपसरपंच श्री ईश्वरजी द्वारा जल संरक्षण के कार्यो के अनुभव साझा किए गए। प्रशिक्षण में ग्राम विकास योजना निर्माण एवं जल

शेष पृष्ठ 7 पर

महिला हिंसा मुक्त पंचायत

जेण्डर आधारित हिंसा रोकने में पंचायत की भूमिका पर केन्द्रित परिशिष्ट

सेफ्टी ऑडिट : कितनी सुरक्षित महसूस करती है महिलएं ?

छतरपुर जिले की 8 जनपद पंचायतों की 80 ग्राम पंचायतों में किया गया सेफ्टी ऑडिट

हमारे गांव महिलाओं के लिए कितने सुरक्षित है? इस सवाल का उत्तर तलाशने के लिए पिछले दिनों समर्थन द्वारा छतरपुर जिले की 8 जनपद पंचायत क्षेत्रों की 80 ग्राम पंचायतों में सेफ्टी ऑडिट किया गया। सेफ्टी आडिट के अंतर्गत गांव की महिलाओं, किशोरी बालिकाओं एवं ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर यह देखा गया है कि किन स्थानों पर महिलाएं सुरक्षित महसूस करती है और किन स्थानों पर महिलाएं असुरक्षित महसूस करती है। इस दौरान महिलाओं के असुरक्षा के कारणों और उनमें ग्राम पंचायत की भूमिका पर भी चर्चा की गई है।

इससे पहले ग्राम पंचायत के एजेण्डा में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा प्रमुखता से शामिल नहीं था और गांव की महिलाओं के लिए भी ऐसा कोई अवसर या मंच नहीं था, जहां वे यह बता सके कि गांव के कौन से स्थान उनके लिए असुरक्षित हैं। ग्राम पंचायत भी महिलाएं सुरक्षा के मुद्दे पर ज्यादा सजग नहीं रही। यह पहला अवसर था जब महिलाओं को उनकी सुरक्षा के मुद्दे पर एकत्र किया गया। अत: सेफ्टी ऑडिट के अंतर्गत महिलाओं और किशोरी बालिकाओं के साथ चर्चा गांव के असुरक्षित स्थानों को चिन्हित किया गया एवं उन्हें सुरक्षित बनाने के उपायों तथा ग्राम पंचायत की भूमिका पर चर्चा की गई। इस दौरान महिलाओं की असुरक्षा से संबंधित चार प्रकार के स्थान या बातें समाने आई, जहां महिलाएं असहज महसूस करती है। इनमें लगभग सभी गांवों से यह बात प्रमुखता से सामने आई कि स्ट्रीट लाईट नहीं होना महिलाओं की असुरक्षा का मुख्य कारण है। कई गांवों में एवं गांव के कई हिस्सो में स्ट्रीट लाईट नहीं है। इससे शाम या रात्रि के समय महिलाओं को उस रास्ते से गुजरने में डर लगता है। उल्लेखनीय है कि कई महिलाएं खेत में काम करके एवं मजदूरी के काम से शाम या रात्रि में अपने घर पहुंचती है। इस दशा में उन्हें अंधेरे रास्तों से गुजरने में दिक्कत होती है।

सेफ्टी ऑडिट के अंतर्गत दूसरी खास बात पुरूष का हैण्डपंप पर नहाना है। घरों में स्नानघर नहीं होने या पानी की सुविधा नहीं होने के कारण पुरूष हैण्डपंप पर नहाते हैं। इस दशा में महिलाएं हैण्डपंप से पानी भरने एवं वहां से गुजरने में असहज महसूस करती है। जबकि ग्राम पंचायत द्वारा सार्वजनिक हैण्डपंप के उपयोग को लेकर कोई नियम नहीं बनाए गए और न ही वहां नहाने पर किसी तरह का प्रतिबंध लगाया गया। सेफ्टी ऑडिट के दौरान महिलाओं की असुरक्षा का तीसरा कारण गांव में शराब की दुकान पाई गई। शराब की दुकानों के आसपास पुरूषों की भीड़ जमा होती है तथा कई पुरूष वहां शराब पीकर बैठे रहते हैं। इस दशा में महिलाओं को वहां से गुजरने में दिक्कत महसूस होती है।

ग्राम पंचायत की भूमिका : महिलाओं की सुरक्षा पर ग्राम पंचायत की भूमिका पर भी सेफ्टी ऑडिट के दौरान चर्चा हुई। सभी का मानना था कि एक बेहतर पंचायत तभी मानी जा सकती, जब वहां महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। यानी महिलाओं की सुरक्षा को ग्राम पंचायत

के विकास का एक प्रमुख संकेतक माना जाना चाहिए। अत: सुरक्षित पंचायत के उपायों को ग्राम पंचायत विकास योजना का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। सेफ्टी ऑडिट की प्रक्रिया में शामिल की गई सभी 55 ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाईट की जरूरत सामने आई। जबकि हैण्डपंपों पर पुरूषों के नहाने पर ग्राम पंचायतों द्वारा नियम बनाने की जरूरत है। इसी तरह शराब की दुकानों को गांव से हटाने के बारे में सामुहिक प्रयासों की जरूरत सामने आई।

सेफ्टी ऑडिट के दौरान सामने आए प्रमुख मुद्दे

◆छतरपुर जिले के बड़ामलेहरा जनपद पंचायत की 10 ग्राम पंचायतों के सेफ्टी आडिट में स्ट्रीट लाईट की जरूतर सामने आई। ईसानगर जनपद की 13 ग्राम पंचायतों में से 12 ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाईट नहीं होने से महिलाओं को दिक्कत होती है। गौरीहार जनपद की 10 ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाईट नहीं है। नौगांव जनपद की 7 ग्राम पंचायतों में बिजली की समस्या समाने आई। लवकुशनगर जनपद पंचायत की 7 ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाईट की जरूरत है। राजनगर जनपद पंचायत की जिन दो ग्राम पंचायतों में सेफ्टी ऑडिट किया गया, उन दोनों ग्राम पंचायतों (ग्राम पंचायत पहाडीराजू और पाटन बरबसपुरा) में लाईट नहीं होने के कारण महिलाएं असुरक्षित महसूस करती है। बक्सवाह जनपद पंचायत में सेफ्टी आडिट के लिए चुनी गई सभी 5 ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाईट की न होने के कारण महिलाएं असुरक्षित महसूस करती है।

◆बड़ामलेहरा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत महाराज गंज में हैण्डपंप और तालाब में पुरूष नहाते हैं, जिससें महिलाओं को पानी भरने में दिक्कत होती है। ईसानगर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत धौरी, सरानी, बांदकला, धरा, धमोरा, बृजपुरा एवं ग्राम पंचायत रामपुरा में हैण्डपपंप पर पुरूष नहाते हैं। जिससे महिलाएं हैण्डपंप पर पानी भरने और वहां से गुजरने में असहज महसूस करती है। इसी तरह जनपद पंचायत बिजावर की ग्राम पंचायत गुलाट में हैण्डपंप पर पुरूष नहाते हैं। गौरीहार जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत रामबलरामपुर, धावरी, टिकरी, चंन्द्रवारा, करहारी, मुडहरा, खैरा, कुवरपुरा में भी यही स्थिति है। जनपद पंचायत नौगांव में शामिल ग्राम पंचायत तिदनी, सहानिया, नयागांव, लुगासी और बरठ सरेठ एवं लवकुशनगर जनपद पंचायत में शामिल ग्राम पंचायत मड़ाह, राजनगर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत पाटन बरबसपुरा, पहाडीराजू तथा जनपद पंचायत बक्सवाहा की ग्राम पंचायत गढ़ी सेमरा, मानकी में हैण्डपंपों पर पुरूषों के नहाने पर प्रतिबंध लगाए जाने की बात सामने आई है।

◆ ईसानगर जनपद पंचायत में शामिल ग्राम पंचायत गौरा एवं बकस्वाहा जनपद की ग्राम पंचायत वीरमपुरा में बस स्टैण्ड पर शराब की दुकान के बाहर लोगों का जमाबड़ा रहता है, जिससे महिलाओं को वहां से गुजरने में दिक्कत होती है।

◆ जनपद पंचायत बड़ामलेहरा की ग्राम पंचायत बंधा चमरोई और महाराजगंज में आंगनवाड़ी में शौचालय नहीं होने के कारण वहां आने वाली महिलाओं, बच्चों एवं किशोरी बालिकाओं को दिक्कत होती है।

◆बिजावर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत गुलाट में गांव से बाहर जाने के लिए बस स्टाप पर महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं। यहां महिलाओं के लिए सुरक्षित बस स्टाप की जरूरत है।

'सम्मान' अभियान से महिला हितैषी प्रतीत हुआ छतरपुर जिला

ज्ञानेन्द्र तिवारी द्वारा

छतरपुर। महिलाओं के विरूद्ध अपराध के उन्मूलन और महिला सुरक्षा में समाज की भागीदारी के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 11 जनवरी से 26 जनवरी तक सम्मान अभियान संचालित किया गया। इसमें महिला सुरक्षा के लिए वातवरण बनाया गया और इस दिशा में सक्रिय रही वाली महिलाओं को असली हीरो के रूप में सम्मानित किया गया।

इस प्रदेशव्यापी अभियान का उद्देश्य महिला अपराध उनमूलन में समाज में की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए समाज में सम्मानजनक एवं अनूकूल वातावरण तैयार करना था। साथ ही लोगों को जागरूक कर सशक्त बनाना भी इसका एक उद्देश्य रहा है, जिससे महिलाओं के साथ ही समाज के सभी तबकों के लोग महिला सुरक्षा के प्रति अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह कर सकें । इस अभियान के दो मुख्य नारे थे –' ' कुछ कहो ,कुछ करो समझदारी से' एवं 'असली हीरो '

अभियान की शुभंकर 'गुडडी'

अभियान की शुभंकर ''गुडडी' है जो

समाज की सजग युवती की प्रतीक है, जो न केवल अपनी सुरक्षा के लिए सजग है अपितु दूसरों की सुरक्षा के लिए भी सचेत रहती है। अभियान में पोस्टर, पुस्तिका एवं महिला सुरक्षा गान आदि के माध्यम से रूचिकर जन-अभियान बनाने का प्रयास किया गया।

यह स्पष्ट है कि समाज में अपराध को अंजाम देने वाले तत्वों की संख्या नगण्य होती है, किन्तु फिर भी उनके हौसले बुलंद होते हैं और वे अपराध करने में सफल हो जाते हैं।

(शेष पेज 5 पर)

कानूनी जानकारी

भरण–पोषण का अधिकार : जीने के अधिकार

भरण पोषण का अधिकार एक तरह से जीवन जीने का अधिकार है। इसलिए हम इसे मौलिक अधिकार के रूप में देख सकते हैं। किन्तु पितृसत्तात्मक व्यवस्था में महिलाओं को कई बार इस अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। अत: महिलाओ के संदर्भ में भरण पोषण का अधिकार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। भरण पोषण के अधिकार के अंतर्गत रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवा और अन्य मूलभूत सुविधा शामिल है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर इसके लिए निर्भर रहा है तो वह व्यक्ति उससे भरण पोषण पाने का अधिकार रखता है। इसतरह पत्नी, बुजुर्ग माता—पिता एवं संतान को भरण पोषण पाने का कानूनी अधिकार है।

घरेलू हिंसा की दशा में सबसे पहले सुलह की कोशिश की जाती है। किन्तु कई बार सुलह की कोशिश कामयाब नहीं होती है और महिला पर हिंसा बढ़ती जाती है। इस दशा में महिला घर में पति के साथ रहना मुश्किल हो जाता है। इस दशा में महिला के सामने भरण पोषण की दिक्कत होती है। अत: कानून के अंतर्गत पति से अलग होने वाली महिला की आजीविका का कोई स्रोत नहीं होने पर उसे अपने पति से भरण पोषण पाने का अधिकार होता है। अलग रह रही महिला को यदि पति द्वारा भरण पोषण हेतु खर्च नहीं दिया जा रहा हो तो महिला न्यायालय में मुकदमा करके खर्च प्राप्त कर सकती है। इसके लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 125 में कानूनी प्रावधान है।

अवयस्क संतान और बुजुर्ग माता—पिता को भी भरण पोषण का अधिकार : जिस तरह पत्नी को पति से भरण पोषा का अधिकार है, उसकी तरह अवयस्क संतान को अपने माता—पिता से और बुजुर्ग माता-पिता को अपनी संतानों से भरण पोषण पाने का अधिकार है। यह देखा गया है कि कई बार बुजुर्ग माता-पिता को विभिन्न परिस्थितियों के कारण अपनी संतान या संतानों से अलग रहना पड़ता है। इस दशा में भरण-पोषण की जरूरत उनके जीवन जीने के अधिकार की तरह होती है। अत: प्रत्यैक संतान का यह दायित्व है कि वह अपने बुजुर्ग माता-पिता को भरण-पोषण की सुविधा दें। यदि कोई संतान ऐसा नहीं करती है तो बुजुर्ग माता-पिता को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत् न्यायालय में मुकदमा कर भरण पोषण पाने का अधिकार है।

कब न्यायालय द्वारा पत्नी, संतान और माता-पिता के भरण् पोषण का आदेश दिया जा सकता है?

पत्नी, संतान और माता—पिता के भरण पोषण के लिए न्यायालय द्वारा आदेश तभी दिया जा सकता है, जब भरण पोषण का अधिकार रखने वाली पत्नी, संतान और माता—पिता द्वारा अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार के न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 125 के तहत मुकदमा दायर किया हो। मुकदमा दायर होने के बाद न्यायालय द्वारा कार्यवाही शुरू होगी, तभी औपचारिकताओं के पूर्ण होने पर न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाएगा।

घरेलू हिंसा की स्थिति में भरण पोषण का अधिकार : जैसा कि स्पष्ट है, घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा विशेष कानून लागू किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत हिंसा से पीड़ित महिला कोई तरह की राहत और सुविधाएं उपलब्ध करवाने के प्रावधान है। इस कानून की धारा 20 के अनुसार इस कानून के अनुसार पीड़ित महिला चाहे वह किसी भी रिश्ते में हो जैसे पत्नी, बेटी, बहन, मां आदि वह खुद के लिए एवं अपने बच्चों के लिए भरण पोषण की मांग कर सकती है। पीड़ित महिला इसके लिए वह घरेलू हिंसा कानून के प्रकरण के अंतर्गत ही भरण पोषण की मांग कर सकती है, यानी उसे किसी अन्य कानून एवं धाराओं में अलग से मुकदमा दायर करने की जरूरत नहीं है।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 20 के अनुसार मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा के कारण पीड़ित महिला और उसकी संतानों को हुए नुकसान की पूर्ति के लिए क्षतिपूर्ति या हर्जाना देने का आदेष प्रत्यर्थी को दे सकते हैं। इसके अंतर्गत पीड़िज महिला उसे हुए उपार्जनों की हानि, चिकित्सीय खर्च, उसकी सम्पत्ति को हुआ नुकसान और अपनी संन्तान के भरण पोषण का खर्च मांग सकती है। अधिनियम की धारा 20(3) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट मामले की प्रकृति और परिस्थितियों के अनुसार भरण पोषण की राशि या तो एक मुश्त देने या मासिक रूप से देने का आदेश प्रत्यर्थी को देंगे। यदि प्रत्यर्थी यह राशि नहीं देता है तो धारा 20(6) के अनुसार मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी के नियोक्ता को प्रत्यर्थी के वेतन से यह राषि सीधे न्यायालय में करने का आदेश दे सकते हैं।

विवाहित महिलाओं के भरण-पोषण संबंधी अधिकार

- महिलाएं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-125 के तहत अपने पति से भरण-पोषण प्राप्त करने की हकदार है।
- भरण-पोषण के लिए महिला सक्षम न्यायालय में साधारण आवेदन देकर अपनी पति से भरण-पोषण की मांग कर सकती है।
- भरण-पोषण से संबंधित आवेदन को स्वीकार करते समय न्यायालय साधारण जांच करेगा न कि कानूनी दांव-पेंच में पड़ेगा। इस प्रकार के आवेदन का फैसला जल्द से जल्द किया जाएगा। न्यायालय जो भी उचित समझे, उतना भरण-पोषण देने का आदेश पारित कर सकता है।
- न्यायालय भरण-पोषण के आवेदन के तय होने के बीच में अंतरिम भरण-पोषण देने का आदेश पारित कर सकता है।
- भरण-पोषण को तय करते समय पति के वेतन, आर्थिक स्थिति तथा पत्नी के रहन-सहन के खर्चों को नजर में रखकर दिया जाएगा।

निम्नलिखित दशाओं में महिलाओं को भरण-पोषण नहीं दिया जाएगा

- जो जारता (महिला का किसी अन्य व्यक्ति के साथ रहना) की दशा में रह रही हो।
- जो अपनी मर्जी से, बिना किसी उचित कारण के पति से अलग रह रही हो।
- जिसने दोबारा शादी कर ली हो।
- पारस्परिक सहमति से अगर दोनों अलग-अलग रह रहें हो।

भरणा पोषण हेतु न्याय प्रक्रिया

- यह अधिकार दण्ड न्यायालय या फिर सिविल विधि के अंतर्गत सिविल न्यायालय से लागू कराया जा सकता है।
- हिन्दू महिलाएं, धारा-24 हिंदू विवाह अधिनियम में भरण-पोषण प्राप्त कर सकती हैं या तलाक में मुकदमें के दौरान महिला इस अधिनियम के तहत भरण-पोषण प्राप्त कर सकती है।
- धारा-25 हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत तलाक होने पर कोई भी महिला स्थायी भरण-पोषण प्राप्त करने के लिए न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकती है।
- मुस्लिम तलाकशुदा महिला भरण-पोषण के लिए अपने मां-बाप, बच्चे या फिर रिश्तेदार जो उसके जायदाद के वारिस होंगे, वक्फ बोर्ड से भरण-पोषण की मांग कर सकती है।
- मुस्लिम महिला, धारा-125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भरण-पोषण का लाभ तभी उठा सकती है, जब वह अपने निकाहनामें में यह लिखे कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-125 के अंतर्गत अर्जी देने से तलाकशुदा औरत अपने शौहर से भरण-पोषण ले सकती है। इससे महिला को भरण-पोषण अन्य महिलाओं की तरह असीमित अवधि तक अपने पति से मिल सकता है।
- किन्तु मुस्लिम महिला विवाह अधिकार अधिनियम के अंतर्गत तथा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत भरण पोषण पाने की हकदार है।

भरण-पोषण प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र कहां प्रस्तुत करें ?

- भरण-पोषण प्राप्त करने हेतु कोई भी महिला एक साधारण प्रार्थना पत्र जिले के सक्षम मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अपने पति से भरण-पोषण की मांग कर सकती है, जिस जिले में वह निवास करती है।
- भरण-पोषण प्राप्त करने के लिए कोई भी विवाहित महिला उस जिले के न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकती है, जिस जिले में उसका पति निवास करता हो या जिस जिले में वह निवास करती हो।
- भरण-पोषण के लिए उस स्थान पर भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है, जिस स्थान पर दोनों पति-पत्नी अंतिम बार एक साथ रहे हों।

सम्मान अभियान.... पेज 3 का शेष

क्योंकि समाज के लोग अपराध रोकना अपनी जिम्मेदारी नहीं मानते। सम्मान अभियान के 'असली हीरो' समाज के वह जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने में, किसी भी पीड़ित महिला, बालिका या बच्चे की मदद की। इन्ही का सम्मान असली हीरो के रूप में किया गया।

छतरपुर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित : सम्मान अभियान के कार्यक्रम प्रदेश भर में आयोजित हुए। इसी कड़ी में छतरपुर जिले में भी वृहद स्तर पर कार्यक्रमों आयोजित हुए। उल्लेखनीय है कि छतरपुर जिले में विभिन्न संकेतकों के आधार पर महिलाओं की स्थिति ज्यादा गंभीर देखी गई है। उदाहरण के लिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यहां के शहरी क्षेत्र में 1000 पुरूषों पर 892 महिलाएं तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1000 पुरूषों पर 880 महिलाएं हैं। जबकि बाल लिंगानुपात; 0-6 साल के बच्चे) 900 है। इससे स्पष्ट है कि यहां पितूसत्तात्मक सोच की पैठ गहरी है तथा महिला असमानता पर आधारित कई प्रथाएं प्रचलित है। यहां घरेलू हिंसा की घटनाओं की भी अधिकता देखी गई है। इस दशा में सम्मान अभियान यहां के लिए अत्यन्त जरूरी और सार्थक कदम रहा है।

सम्मान अभियान के कार्यक्रमों में जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए गतिविधियों की श्रृंखला आयोजित की गयी। पुलिस प्रशासन, महिला अपराध प्रकोष्ठ एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की महती भूमिका रही। साथ ही

गैरसरकारी संगठनों ने कार्यक्रमों में बढ़चढ़ कर हिस्सेदारी की। ग्राम पंचायतों में भी विविध कार्यक्रम आयोजित हुए। पुलिस अधीक्षक श्री सचिन शर्मा ने जिले में संचालित अशासकीय संगठनों को पत्र लिखकर महिलाओं के विरूद्ध घटित अपराधों की रोकथाम हेतु जागरूकता अभियान में सक्रिय भागादारी हेतु आमंत्रित किया।

जिले में जेण्डर आधारित हिंसा की रोकथाम के लिए यू.एन.एफ.पी.ए. के सहयोग से समर्थन संस्था द्वारा संचालित परियोजना के माध्यम से जिले की 80 ग्राम पंचायतों में सैफ्टी-ऑडिट किया गया था, जिसके चलते सम्मान पखवाड़े के दौरान समर्थन से चयनित स्थानों सेफ्टी-ऑडिट करने के लिए मार्गदर्शन की अपेक्षा की गयी। जिले में सम्मान अभियान के अंतर्गत रैलियां, नुक्कड नाटक ,सेल्फी-प्वाइंट, निंबध, चित्रकला प्रतियोगिता शपथ और हस्ताक्षर आदि आयोजन कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही महिलाओं को आत्मरक्षा के तरीके बताए गए और हेल्पलाईन नम्बर का प्रचार-प्रसार किया गया।

असली हीरो का सम्मान : सम्मान के माध्यम से लोगों को असली हीरो के रूप सक्रिय भूमिका निभाने का संदेश प्रसारित किया गया। 'असली हीरो' के सम्मान के कार्यक्रम की श्रृंखला में एक कड़ी के रूप में समर्थन संस्था की ब्लॉक समन्वयक संगीता मिश्रा को गणतंत्र दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम में सम्मानित किया गया ।

गतिविधि से बनती समझ

मै कौन हूं? मेरी क्या पहचान?

पितृसत्ता किस तरह महिलाओं को समानता और जीवन जीने के अधिकार से वंचित करती है, यह बात विभिन्न गतिविधियों के जरिये समझी जा सकती है। इसी कड़ी में इस बार प्रस्तुत है, महिलाओं की पहचान से जुड़ी गतिविधि। उल्लेखनीय है कि समाज में महिलाओं को रिश्ते-नातों से पहचाना जाता है, न कि उनके कौशल और खासियत से। उन्हें किसी की मां, बेटी या पत्नी के नाम से जाना जाता है। जबकि महिलाओं में कई खासियत होती है, जो समाज द्वारा नजरअंदाज कर दी जाती है। अत: पितृसत्तात्मक समाज की इस व्यवस्था को तोड़ने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है 'महिलाओं द्वारा अपनी अलग पहचान कायम करना'

गतिविधि की प्रक्रिया : इस गतिविधि को सोशियाग्राफी भी कहा जा सकता है। इसका उद्देश्य व्यक्ति की विविध पहचानों में जेंडरीकरण की भूमिका को समझना है। साथ ही यह भी समझना कि औरत- मर्द किस हद तक आज़ादी से अपनी जिन्दगी जी पाते हैं। इस गतिविधि में सभी साथी गोल दायरे में खड़े हों।

संवादक एक-एक करके कुछ सवाल पूछेंगे। हर सवाल के जवाब में जो सहमत हैं, वे बीच में आ जाएं, जो-

- लाल या पीली या नीली पोशाक पहने हैं?
- गांव से आए हैं?
- महिला समूह की सदस्य है?
- साइकिल चलाती है?
- बेटियां साइकिल चलाती है?
- स्कूल गए है?
- अपनी पसंद से शादी की है?
- जाति या धर्म के बाहर शादी की है?
- शादी नहीं करना चाहते हैं?
- चुनौतियों का सामना कर पाएं?
- सौलह वर्ष की उम्र से पहले ब्याह दी गई?
- रात को अकेले यात्रा कर पाते हैं?
- पुरूष घर के काम करते हैं?
- बच्चों के पालन में पति मदद करते हैं?
- हिंसा का कौन—कौन सामना कर चुका है?
- बैंक में अपने नाम का खाता रखते हैं?
- जमीन अपने नाम रखे हुए हैं?

चर्चा को समेटना

बातचीत के जरिये स्पष्ट करें कि-

- हमारी पहचान के अलग—अलग पहलू समाज द्वारा बनाए जाते हैं। प्राकृतिक और शारीरिक अंतरों की आड़ में स्त्री पुरूष की गैरबराबरी वाले पहलू को अधिक महत्व दिया जाता है।
- हमारी कुछ पहचान हमें फायदे दिलाती है और कुछ हाशिये की ओर धकेलती है।
- कुछ पहचानों को लेकर हम सहज रहते हैं और कुछ के साथ नहीं। कुछ पहचानों के आपसी टकराव भी हो सकते हैं।
- विषय के अनुसार इस तरह के और बहुत से सवाल बनाए जा सकते हैं, जो हरेक की पसंद से लेकर, उसके रूतबे और ताकत की झलक दे सकते हैं। बातचीत से निकले हर मुद्दे को समझना—समझाना तथा जहां लागू हो सकें, समाज में औरत के दर्जे से जोड़ना।

(साझी बुनावट से)

हिंसा से मुक्ति की ओर

परामर्श और कार्यवाही के जरिये हिंसा मुक्त परिवार बनाने की पहल

छतरपुर जिले में समर्थन के प्रयासों से ग्राम पंचायत और ग्रामवासियों को हिंसा मुक्त पंचायत के लिए सक्रिय करने का प्रयास किया जा रहा है। इस दिशा में समर्थन के कार्यकर्ताओं द्वारा फील्ड में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती है। इन्हीं गतिविधियों के दौरान कई मामले सामने आए जिन पर कार्य शुरू किया गया।

राखी की कहानी : यह कहानी राखी की है, जिसे घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा। राखी के पति की आजीविका या आय का कोई स्रोत नहीं था। यह स्थिति उनके घर में लंबे समय तक रही। एक रात, उसका पति शराब के नशे में आया और उसने राखी से रूपए मांगे। जब राखी ने उन्हें रूपए देने से इनकार कर दिया, तो शराबी पति ने उसे लाठी से पीटना शुरू कर दिया और अंत में उसका मंगलसूत्र तोड़ दिया। वह उसे रात भर घर छोड़ने का दबाव बनाता रहा। इस दशा में राखी को अपनी माता—पिता के घर जाना पड़ा।

जब समर्थन के कार्यकर्ता को इस घटना का पता चला, तो उन्होंने राखी से सम्पर्क किया और उनसे इस मामले में चर्चा की। समर्थन कार्यकर्ता ने इस बारे में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और गांव के कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों से भी चर्चा की। राखी नहीं चाहती थी इस मामले में पुलिस को शामिल किया जाए। वह सुलह चाहती थीं।

राखी की स्वीकृति के बाद, उनके पति और परिवार के अन्य सदस्यों के बीच बातचीत हुई। ऐसा होने पर पति को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई। उन्होंने माफी मांगी और राखी ने वापस परिवार में लौटने का फैसला किया। अब राखी अपने परिवार के साथ खुशी से रहती हैं और उनके पति ने एक साइकिल की दुकान में काम करना शुरू कर दिया है जिससे घर में आमदनी भी होने लगी है।

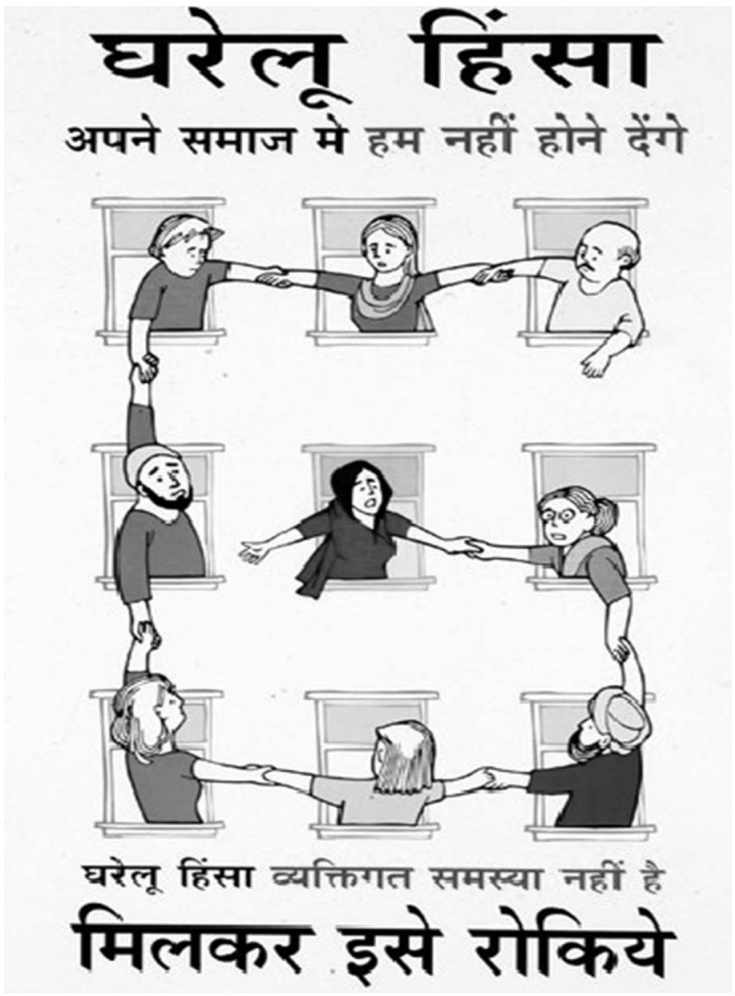

संकट की घड़ी में राहत के प्रयास

यह कहानी 10 साल की रानी (बदला हुआ नाम) की माँ की है। वह छतरपुर जिले के नोवागाँव ब्लॉक के लुगासी गाँव की रहने वाली है। उसे बकरी के खाने के लिए पत्तियां लाने जंगल जाना पड़ता था।

एक दिन, बकरी चराने के दौरान, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटित हुई, जिसमें रानी खाई में गिर गई और उसकी रानी की मृत्यु हो गई। रानी की मां को इसका बहुत सदमा लगा और पूरा परिवार इससे बहुत दुखी हो गया। समर्थन के कार्यकर्ता को जब इस घटना का पता चला तो उसने गांव के कुछ प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क करके रानी के माता-पिता को कुछ आर्थिक सहायता प्रदान करने पर चर्चा की। क्योंकि यह आकस्मिक मृत्यु का मामला था। युवक इस मामले को कलेक्टर के पास ले गए, जिन्होंने इस मामले में जांच का आश्वासन दिया। इसके लिए एक समिति का गठन किया गया और जांच के दौरान आकस्मिक मृत्यु का दावा सही पाया गया था। अत: संबल योजना के अनुसार मृतक के परिवार को 4 लाख रुपये की राशि दी गई

ज्वाला के संघर्ष की कहानी : ज्वाला (बदला हुआ नाम) खुशहाल जीवन नहीं जी पा रही थीं। छतरपुर जिले के नौगांव ब्लॉक के सहानिया गाँव की रहने वाली ज्वाला की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थीं। एक दिन बीमारी के कारण अचानक उसके पति की मृत्यु हो गई। ज्वाला को उसके पति की मृत्यु का कारण समझ में नहीं आया। पति की मौत के बाद उसके ससुराल वालों ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। ज्वाला, जिस पर तीन बच्चों और वृद्ध पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी थीं। वह जीवन से निराश होने लगीं। उसके पिता भी वृद्धावस्था के कारण बीमार रहते थे। इस तरह ज्वाला को बिना किसी सहारे के अकेले जीवन जीन को विवश थीं। उसके मन में जीवन जीने के प्रति ही निराशजनक विचार आने लगे। जिसे उसके पिता ने देखा था। उसके पिता चिंतित और डरे हुए थे। उन्होंने समर्थन के ब्लॉक समन्वयक से उनके गांव में हमारी एक काउंसलिंग बैठक में संपर्क किया। मामले को सुनने के बाद, कार्यकर्ता कस्तूरी और गांव के युवा स्वयंसेवक देवेंद्र ने पीआरआई सदस्यों से संपर्क किया। कई निरंतर प्रयासों के बाद, यह सुनिश्चित किया गया था।

इसी के साथ ही समर्थन के सहयोग से ज्वाला के बच्चे को जिला चिल्ड्रन हॉस्टल में प्रवेश मिल गया, जहाँ वे मुफ्त शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य और भोजन की सुविधा प्राप्त करने के हकदार होंगे।

रूढ़ियों को खारिज करते मानकी के ग्रामवासी

ज्ञानेन्द्र तिवारी द्वारा

छतरपुर। समाज में प्रचलित कई रूढ़ियां गैर बराबरी पर आधारित है और वे सामन्ती तरीकों को बढ़ावा देती है। जबकि एक लोकतांत्रिक समाज में सभी को बराबरी से जीवन जीने का हक है। अतरू देश में ऐसी रूढ़ियों को समाप्त करने के कई प्रयास हुए। कई रूढ़ियों को तो कानून द्वारा भी प्रतिबंधित किया गया है। उदाहरण के लिए देश में बाल विवाहए दहेज प्रथाए सती प्रथा जैसी परपंराओं को न सिर्फ प्रतिबंधित किया गयाए बल्कि इन परपंराओं को लागू करने वालों को दण्ड दिए जाने का कानूनी प्रावधान है।

इसी तरह की एक परंपरा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में प्रचलित रही हैए जिसमें महिलाएं गांव में चप्पल पहन कर नहीं निकल सकती है। उन्हें गांव के अंदर आतेकृजाते चप्पल हाथ में उठाकर चलाना पड़ता था। कई लोगों ने इस परपंरा को समाप्त करने की पहल की। छतरपुर जिले के बकस्वाहा जनपद पंचायत के मानकी गांव में भी यह परंपरा प्रचलित थी।

यह पंचायत जिला मुख्यालय से 135 किलोमीटर दूर है तथा एक छोटीकृसी टेकरीनुमा पहाड़ी पर स्थित है। कुछ ही महीनों पहले यहां महिलाएं गांव में गुजरते समय चप्पल हाथ में उठकर चलती थी और गांव के बाहर पहुंचने पर ही वे चप्पल पैरों में पहनती थीं।

महिला हितैषी पंचायत के अंतर्गत समर्थन के कार्यकर्ता जब इस गांव पहुंचे तो उन्होंने इस परपंरा को समाप्त करने के प्रयास किए। क्योंकि यह परपंरा महिलाओं के मानकृसम्मान और गरिमा के विपरीत थीं। कार्यकर्ताओं द्वारा सबसे पहले इस बारे में महिलाओं से चर्चा की गई। महिलाओं ने बताया कि वे गांव के लोगों का सम्मान रखने के लिए गांव में चप्पल नहीं पहनती है। इस दशा में विस्तार से चर्चा करते हुए उन्हें सामाजिक व्यवस्था के बारे में समझाया गया। इस दौरान पास के पढ़ेसी गांव के पुजारी जी से भी चर्चा हुई। कार्यकर्ताओं की बात को समझने के बाद उन्होंने भी स्वीकार किया कि यह परंपरा गलत है और समाज मे सभी तबकों एवं महिलाओं को बराबरी एवं सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है।

इस चर्चा के बाद लोग बदलाव के लिए तैयार हुएए किन्तु यह सवाल था कि बदलाव की अगुवाई कौन करेगा घ् यहां के पुजारी भगवानदास एवं ग्रामवासी फेरनसिंह ने इस दिशा में अगुवाई करने का फैसला लिया। उन्होंने संकल्प लिया कि वह अब गांव में इस रूढ़ि को समाप्त करेंगे और सभी महिलाओं को सम्मान के साथ चप्पल पहनकर गांव में आनेकृजाने के लिए प्रेरित करेंगे।

इस तरह मानकी गांव में सदियों पुरानी रूढ़ि को बदलने का अभियान शुरू हुआ। धीरेकृधीरे गांव के ज्यादातर लोग इससे जुड़ गए। इसके परिणामस्वरूप यह सदियों पुरानी यह परंपरा समाप्त हुई। आज यह गांव एक सकारात्मक बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

जल संरक्षण की मिसाल बनीं झारखंड की हुरलुंग पंचायत

जमशेदपुर (झारखंड)। यहां की हुरलुंग पंचायत की मुखिया अन्य पंचायत प्रतिनिधियों के लिए प्रेरणा की स्त्रोत हैं। पंचायत की मुखिया आशा देवी ने जल संरक्षण के लिए अनोखा तरीका अपनाकर एक मिसाल पेश की है। आशा देवी लगातार दो बार चुनाव जीतकर हुरलुंग पंचायत की मुखिया बनी हैं। अपने दो बार के कार्यकाल में उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में नाली का निर्माण नहीं कराया बल्कि नालियों से बहकर नदी में मिलने वाले या अन्यत्र बेकार होने वाले बारिश और घर के पानी को संरक्षित कर रखने के लिए उन्होंने एक मुहिम शुरू की। इसके लिए उन्होंने ग्रामवासियों को जागरूक करने का भी प्रयास किया।

नाली बनवाने की मांग करने वालों से उन्होंने अपने घर के पानी को घर में रखने के लिए सोख्ता बनवाने की अपील की, ताकि जमीन की नमी बना

रहे। उन्होंने लोगों को बताया कि भूमि का गिरता जलस्तर चिंता का विषय बनता जा रहा है। ऐसे में हम बेकार बह रहे पानी को सोख्ता के माध्यम से धरती के अंदर पहुंचाएंगे। इससे जलस्तर बढ़ेगा और भू-जल रिचार्ज होगा। जिससे भविष्य में पेयजल संकट की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी।

ग्रामवासी मानते हैं कि जल संरक्षण करना सभी का कर्तव्य है। लोग अपने-अपने घरों में सोख्ता का निर्माण कर रहे हैं। पंचायत में आधे से अधिक घरों में लोगों ने सोख्ता का निर्माण कराया है। इसके साथ ही क्षेत्र में लगाए गए सरकारी हैण्डपंपों के साथ ही सोख्ता गड्ढों का निर्माण कराया गया है।

नाली के बजाय हर घर में सोख्ता बनवाने के संबंध में मुखिया आशा देवी ने बताया कि पहले आसपास के क्षेत्रों में नाली का पानी सड़कों पर बहते हुए देखती थी, सड़क पर बहते नाली के पानी के कारण लड़ाई-झगड़ा होते देखा है। साफ-सफाई के अभाव में नालियों से बदबू आती थी। लड़ाई-झगड़ा देखकर सोचती थी, कि पानी को बहाने से लोगों में झगड़ा होता है। अगर लोग अपने घर का पानी अपने घर में ही जमा रखें, तो न झगड़ा होगा और न पानी बेकार में बहेगा। अब जब मौका मिला तो इसे अमलीजामा पहनाने का काम शुरू किया। नतीजा ऐसा रहा कि अब यहां हर तीसरे घर में सोख्ता बनाया गया है।

मुखिया आशा देवी कहती है कि उनका एक ही मकसद हुरलुंग पंचायत को ड्राई जोन होने से बचाना है। पंचायत के सभी गांवों तथा मोहल्लों की सड़कों पर पानी जमा नहीं हो, सड़कें पूरी तरह से साफ-सुथरी रहें। पंचायत के लोगों को पानी की समस्या से कभी जूझना नहीं पड़े। कुएं एवं हैण्डपंपों का जलस्तर भी नहीं घटे। इसके अलावा हैण्डपंप से जमा पानी से होने वाली संक्रामक बीमारी से भी पंचायतवासी बचे रहें।

मुखिया आशादेवी ने बताया कि गांव में नाली नहीं बनवाने के कारण पड़ोस के ही चार परिवार के लोगों ने उनके साथ झगड़ा किया और बातचीत बंद कर दी। उन्होंने नाली नहीं बनवाने का कारण बताते हुए उन्हें समझाया। उन परिवारों ने सड़क पर पानी बहाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद उन्हें भी समझ आया और उन्होंने भी अपने घरों में सोख्ता बनवाया।

हुरलुंग पंचायत के एक इलाके को छोड़कर कहीं भी नाली नहीं थी। यहां चुनाव के बाद एक ही नाली बनी है। अब लोग यहां भी अपने घरों में सोख्ता बनवा रहे हैं। इसके साथ ही पंचायत क्षेत्र के फ्लैट में सोख्ता नहीं बना है। मुखिया आशादेवी ने अब सोख्ता के साथ फ्लैट बनवाने की अपील की है।

हुरलुंग पंचायत में चार गांव हैं लुपुंगडीह, मनपीटा, नूतनडीह और हुरलुंग। इनमें पेयजलापूर्ति के लिए कुल 20 सोलर चलित नलकूप बनवाए गए। इसके साथ ही पंचायत में सैकड़ों हैण्डपंप एवं 50 तालाब हैं, जिनमें साल भर पानी रहता है।

स्व सहायता समूह करेंगे समर्थन मूल्य पर खरीदी

सीहोर। प्रदेश में अब तक समर्थन मूल्य पर कृषि उपज की खरीदी का कार्य केवल सोसायटी को ही दिया जाता था, लेकिन अब सरकार ने निर्णय लिया है कि जो सोसाइटी डिफाल्टर हो चुकी है, उन्हें ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा और उसकी जगह स्व सहायता समूह से समर्थन मूल्य पर गेहूं और चना की खरीदी कराई जाएगी। इससे स्व सहायता समूह आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। यह बात मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने कही। पिछले दिनों उन्होंने सीहोर जिले के बरखेड़ी में समर्थ महिला संघ के कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में 75 गांवों के 175 स्व सहायता सूमहा की महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में 600 महिलाओं ने भाग लिया। इसके बाद कृषि मंत्री इछावर पहुंचे, जहां किसान मोर्चा के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सोसाइटी समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी करती है, उन्हें इसके बदले में एक प्रतिशत कमीशन दिया जाता है। इस तरह एक लाख क्विंटल चना की खरीदी की तो आपके स्व सहायता समूह को कमशीन के रूप में 51 लाख रूपए मिलेंगे। जब इतनी बड़ी राशि आपके समूह को प्राप्त होगी तो यह निश्चित ही आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि एक समय था जब किसान की फसल खराब हो जाती थीं, तो उसकी हालत इतनी खराब हो जाती थीं कि किसान को अपनी जमीन बेचनी पड़ती थीं। किसान को खाद—बीज खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लेना पड़ता था, अब सरकार 0 प्रतिशता ब्याज पर ऋण उपलब्ध करा रही है।

इस मौके पर समर्थन संस्था के कार्यक्रम प्रबंधक श्री जीत परामार और निदेशक डॉ. योगेश कुमार भी मौजूद थे।

मनरेगा और महिला स्व-सहायता समूहों को ऋण दिलाने के मामले में म.प्र. सबसे आगे

भोपाल। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन के मामले में दिसम्बर 2020 तक मध्यप्रदेश सबसे आगे रहा है। इस दौरान यहां प्रतिदिन बीस लाख से ज्यादा मजदूरों को 22,108 पंचायतों में कामों दिलाया गया। वहीं, महिला स्व-सहायता समूहों के ऋण प्रकरणों को प्रस्तुत करने और उनकी स्वीकृति में भी प्रदेश देश में सबसे आगे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बैंक लिंकेज पोर्टल पर प्रकरणों की प्रस्तुति एवं उनकी स्वीकृति के मामले में मध्यप्रदेश देश में सबसे आगे रहा है। 82, 342 प्रकरणों में से 32,062 स्वीकृत किए गए हैं। मनरेगा के काम 22,108 पंचायतों में हुए। एक करोड़ 14 लाख से ज्यादा सक्रिय मजदूरों में से 20.17 लाख मजदूरों को प्रतिदिन दिया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने योजना में बंजर भूमियों को उपजाऊ बनाने के काम लेने के निर्देश दिए। ग्रीन टैक्नोलॉजी के अंतर्गत प्लास्टिक वेस्ट से सर्वाधिक 7.5 हजार किलोमीटर की सड़क बनाई गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 23,63,777 प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास स्वीकृत हुए थे। इनमें 17,59, 675 पूर्ण हो चुके हैं।

आनलाइन देखें... पेज 2 का शेष

पिछले दिनों प्रवासी श्रमिकों के गांव आने एवं कई संयुक्त परिवारों के एकल परिवार में बदलने के कारण उनके जॉब कार्ड बनाने के निर्देश शासन द्वारा दिए गए थे। इस निर्देश के बाद ग्राम पंचायतों द्वारा बड़े पैमाने पर जॉब कार्ड बनाए गए और लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया। जॉब कार्ड में परिवार द्वारा उपयोग किए गए रोजगार के दिनों की संख्या दर्ज की जाती है।

इससे यह पता चलता है कि किस परिवार को कितने दिनों का रोजगार प्राप्त हुआ है तथा कितने दिनों का रोजगार बाकी है। जॉब कार्ड की स्थिति को देखने के लिए भारत सरकार ने आन लाईन व्यवस्था की है।

इसके अंतर्गत आप मनरेगा की वेबसाईट पर जाकर अपने जॉबकार्ड की स्थिति जान सकते है। यहां प्रस्तुत हैं जाब कार्ड की स्थिति जानने का तरीका।

मनरेगा संबंधी जागरूकता के लिए सरपंच की पहल

मगरलोड (छत्तीसगढ़)। ब्लॉक मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत कपालफोडी के पंच, सरपंच एवं मेट मनरेगा के लिए पंचायत में जागरूकता का प्रसार कर रहे हैं। कपालफोडी में हाल ही में चल रहे छत्तीसगढ़ सरकार की योजना मनरेगा के तहत चल रहे तालाब गहरीकरण के कार्य मे सभी पंचों सहित 24वर्षीय युवा सरपंच देवाराम कंवर खुद अपने सभी मजदूरों के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करते है।

ग्राम कपालफोडी के सरपंच को यदि देखा जाये तो पूरा ब्लॉक में सबसे कम उम्र के सरपंच है। सरपंच देवाराम कंवर ने कहा कि वह आम मजदूरों के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करते हैं और इससे उन्हें बहुत खुशी भी मिलती है। क्योकि सरपंच देवाराम कंवर खुद एक युवा है और युवा सोच रखते हैं और मजदूर किसान परिवार से तालुकात रखते हैं।

कपालफोडी के इतिहास के पन्नों को यदि उल्टा कर देखा जाये तो ये पहली कम उम्र के सरपंच है और खुद के कार्यकाल में काम करने वाले दूसरा नंबर की सरपंच है। ज्ञात हो की एक पंच वर्षी पहले पूर्व सरपंच रामसिंग साहू भी अपने कार्यकाल में खुद अपने परिवारों के साथ मनरेगा के लिए काम जाते थे।

उन्होंने ने कहा लोगों को चाहे कितना ही बड़ा पद क्यो ना मिल जाये, उन्हें मेहनत करना नहीं भूलना चाहिए। इसके माध्यम से सरपंच लोगों को मनरेगा के लिए जागरूक बना रहे हैं और यह कोशिश करते हैं कि गांव के प्रत्यैक परिवार को रोजगार हासिल हो। इससे लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।

को आबंटित होती है, उसके अनुपात में विकास कार्य दिखाई नहीं देते। इसका कारण यह है कि ग्राम पंचायतें अपनी बेहतर कार्ययोजना नहीं बनाती और जो कार्ययोजना बनाई जाती है, उसमें लोगों की सहभागिता का अभाव होता है। बेहतर कार्ययोजना बनाने के लिए यह जरूरी है कि ग्रामवासी सबसे पहले अपनी ग्राम पंचायत की जरूरतों एवं अपेक्षित संसाधनों का आकलन करें। इस आकलन से जो समस्याएं या कमियां सामने आएगी, उन्हें ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल किया जा सकता है।

गांव में हमारी जरूरतें क्या है? : योजना निर्माण के विभिन्न चरणों में जरूरतों एवं संसाधनों की पहचान करते हुए गांव की योजना का प्रारूप बनाना, नियोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। आवश्यकताओं की पहचान करने का प्रारंभ गांव ञ्चपंचायत का स्वप्न तैयार करने से हो सकता है। स्वप्नञ्चविजन वह दूरगामी लक्ष्य है जिसके लिए सभी गांव वाले प्रेरित है और काम करने को तैयार हो। यदि हम अपने लोगों से चर्चा करें कि 5 वर्ष बाद वे अपने गांव को कैसा देखना चाहते है? तो वह गांव की सम्भावनाओं एवं आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा। जैसे -ऐसे गांव का निर्माण करना, जहां पर सभी किसानों दो फसलो के लिये सिचाई की पर्याप्त व्यवस्था और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व गांव का स्वच्छ वातावरण हो। यह सपना हर गांवञ्चपंचायत का अलग -अलग हो सकता है एवं वहां की परिस्थितियों, संभावनाओं एंव अपेक्षाओं पर निर्भर करेगा। 'गांव के स्वप्न' में लोग अधिकांशत: अपने गांव को गन्दगी, पीने के पानी की समस्या, स्कूल, सड़क, नाली आदि की समस्या से मुक्त देखना चाहते है। जबकी पंचायत राज व्यवस्था का कानून भी यही कहता है। अत: गांव का स्वप्न ञ्चविजन तैयार कर हम अपने गांव को सर्व सुविधयुक्त गांव बनने का लक्ष्य तय कर सकते हैं। गांव की खास जरूरतें जैसे पीने का पानी, बीमारियों का इलाज एवं रोकथाम, साफ स्वच्छ वातावरण, रोजगार के साधन, सबको रहने के लिए घर, निराश्रितों के लिए सहायता, स्कूल, बिजली, सड़क आदि बहुत सी जरूरतें हो सकती हैं। इनमें सबसे ज्यादा जरूरी काम सबसे पहले और कम जरूरी काम को सबसे बाद में रखते हैं। जरूरतों का पता करने में हमें अंदाजा हो जाता है कि हमें क्या-क्या करना है। अत: आपस में मिलजुल कर वार्ड

ग्राम पंचायतों की.... पेज एक शेष

स्तर से पंचायत स्तर तक कि तमाम जरुरतों की सूची बना ले।

जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या करना होगा? गांव की खास जरूरतें तय हो जाने के बाद अथवा उनका क्रम निर्धारण करने के बाद हम यह देखते हैं कि इन जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या-क्या करना होगा ? इसलिए ग्राम पंचायत की विकास योजना बनाने के लिए हमें कुछ अग्रिम तैयारी करनी है। जिसके बारे में योजना बनाने से पूर्व भी कार्य करना होगा। आवश्यकताओं एवं संभावनाओं के आंकलन के लिए आधारभूत जानकारीयों का संकलन दो स्तरों पर किया जाये।

वातावरण निर्माण व दस्वावेजों का संग्रहण-

वातावरण निर्माण : गांव के मंजरेञ्चमोहल्ले में पद यात्राञ्चरैली करना ,पंचायत द्वारा मुनादी कराना, नियोजन के पहले दिवाल लेखन एवं विभिन्न माध्यमों से लोगों को सूचना व जानकारी देना।

शिविर का आयोजन : ग्राम स्तरीय सूक्ष्म नियोजन की प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिये महिला स्वयं सहायता समूहों, युवा मण्डलों तथा पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठके कर ग्राम स्तरीय सूक्ष्म नियोजन की आवश्यकता एवं प्रकिया की जानकारी देना। सामुदायिक जागरूकता एवं गतिशीलता के लिये विभाग स्तरीय जानकारी हेतु शिविर का आयोजन करना।

दस्वावेजों का संग्रहण करना: योजना बनाने के पूर्व ही हमें अपने पंचायत सचिव के साथ मिलकर गांव स्तर की तमाम जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। यह जानकारियां शासन के विभिन्न लोगों द्वारा समय -समय पर सर्वे आदि द्वारा अपने विभागीय दस्तावेजों में अंकित की है।

आगंनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली जानकारी- आगंनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा गांव में कुल परिवारों की सर्वे आधारित जानकारी, इसमें प्रत्येक परिवार के सदस्यों का विवरण सहित 0 से 6 वर्ष के बालक बालिकाओं की विभिन्न जानकारियों के साथ पोषण का स्तर आदि देखा जा सकता है, वहीं आंगनबाड़ी में संधारित किशोरी बालिकाएं, शिशुवती, गर्भवती, धात्री माताओं का विवरण सहित टीकारकण आदि की जानकारी ली जा सकती है।

स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली जानकारी: स्वास्थ्य के क्षेत्र में नर्स एवं बहु उद्देश्यी स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एमपीडब्ल्यू) द्वारा गांव की स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति, बीमारियां एवं उपके उपचार से जुड़े हुए सुविधाओं को जाना जा सकता है।

शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली जानकारी : शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल में बच्चों की दर्ज संख्या, शिक्षकों की संख्या, पाठ्यपुस्तक आदि का विवरण स्कूल शौचालय, पीने का पानी, मध्यांन्ह भोजन व शालात्यागी बच्चों की संख्या आदि से जुड़ी हुई तमाम जानकारी को लिया जा सकता है।

पटवारी द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली जानकारी : राजस्व के क्षेत्र में पंचायत में पदस्थ पटवारी से गांव में भूमि का प्रकार, रकबा, सिंचित असिंचित क्षेत्र के अलावा चरनोई भूमि, वन क्षेत्र, निस्तार आदि की जानकारी के साथ सार्वजनिक स्थलों, वृक्षों आदि की जानकारी ली जा सकती है। साथ ही ग्राम पंचायत में आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए संसाधनों को जाना जा सकता है।

पंचायत सचिव द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली जानकारी : ग्राम पंचायत में विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों का संधारण समय-समय पर पंचायत सचिव द्वारा किया जाता है, इनका उपयोग योजना निर्माण के दौरान ग्राम पंचायत की क्षमता एवं कमजोरियों को जानने में किया जा सकता है। इस जानकारी में मुख्य रूप से विगत वर्षों में पंचायत की आय एवं व्यय का विवरण बाहरी स्त्रोत से आय का विवरण पंचायत की परिसंपत्तियों का विवरण पंचायत एवं ग्राम सभा द्वारा जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत पूर्व में भेजी गई योजनाओं का विवरण, विभिन्न मांग पत्र, लाभार्थी हितग्राहियों की विभिन्न सूचियां एवं प्रतिक्षित चयनित हितग्राहियों की सूची का अवलोकन किया जा सकता है।

संसाधन : कहां और कितने? कौन सी जरूरतें सरकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं से पूरी की जा सकती हैं। कौन सी ऐसी जरूरतें हैं जो अन्य साधनों से पूरी की जा सकती हैं जैसे बाहरी अनुदान, स्वयं के संसाधन, स्वयं की आय, श्रमदान, जन भागीदारी आदि से बिना लागत के पूरी की जा सकती हैं। जरूरतों के हिसाब से आवश्यकता सूची तैयार कर लेनी चाहिए, उदाहरण के लिए गांव में सड़क एवं नाली निर्माण शासन के द्वारा चलाई जा रही पंच परमेश्वर योजना से कराया जा सकता है।

जबकि गांव में शराबबंदी या नशामुक्ति के लिए बिना किसी विशेष लागत के समुदाय आधारित अभियान चलाकर गांव को नशामुक्त गांव बनाया जा सकता है, वहीं महिला सशक्तिकरण का कार्य भी किया जा सकता है। इसी प्रकार गांव को हरा-भरा गांव बनाना, खुले में शौंच से मुक्त करना, शतप्रतिशत टीकाकरण, संस्थागत प्रसव, स्कूलों में बच्चों का शतप्रतिशत दाखिला शिक्षा की गुणवत्ता, मध्यान भोजन की गुणवत्त, कुपोषण से मुक्ति और सामाजिक बुराइयां जैसे- बाल विवाह, बाल श्रम, दहेज प्रथा इत्यादि से मुक्ति, गांव के लोगों की जागरूकता, सहभागिता और दृढ़ निश्चय से पाई जा सकती है। इस प्रकार ग्राम पंचायत को प्राप्त होने वाली आय का आकलन किया जाना आवश्यक है।

पंचायत की आय : योजना निर्माण के प्रारंभ के तीन चरण हैं, पंचायत की आवश्यकताओं का आंकलन एवं पंचायत में काम की संभावनाओं की समझ। यह भाग पंचायत की आवश्यकताओं एवं संभावनाओं. को समझने से संदर्भित है। हमने योजना निर्माण के प्रथम चरण में ही विभिन्न पद्धतियों एवं टूल्स का उपयोग करके गांवञ्चपंचायत के महत्वपूर्ण आंकड़ो को निकालने का प्रयास किया है। हमने सर्वेक्षण, एफजीडी एवं पीआरए पद्धति का उपयोग करके गांवञ्च पंचायत के महत्वपूर्ण पहलुओं पर समझ विकसित करने का प्रयास किया है। इस भाग में हम गांवञ्चपंचायत का बजट अर्थात् ग्राम पंचायत के लिए रिसोर्स इनवलप का निर्धारण का प्रयास करेगें।

पंचायत का रिसोर्स इनवलप का निर्धारण : बजट बनाने से पहले यह जानना जरूरी है कि पंचायत में पैसा कहां से और किस काम के लिए आता है? प्राप्त होने वाली राशि का अनुमान लगाकर अगले साल के खर्च का अनुमान लगाया जाता है। यह स्पष्ट है कि सरकार द्वारा लोगों के विकास के लिए कई योजनाएं संचालित की जाती हैं। उनमें से कई योजनाओं का क्रियान्वयन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है जैसे प्रधानमंत्री आवास, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मनरेगा, आदि। इनके लिए सरकार द्वारा पंचायतों को राशि दी जाती है। अत: बजट बनाने के लिए यह जानना जरूरी है कि वर्ष में सरकार द्वारा पंचायतों को किन-किन योजनाओं में कितनी राशि दी जाएगी।

जल जीवन मिशन... पेज 2 का शेष

संरक्षण एवं जल संवर्धन की गतिविधियों को बारे में श्री मितेश द्वारा विस्तार से बताया गया, कि किस प्रकार हम कम लागत से जल संरक्षण के कार्य अपनी ग्राम पंचायत में कर सकते हैं। उपरोक्त चर्चा से यह बात सामने आई कि ग्राम पंचायतों में नल जल योजनाओं के बेहतर करने में पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। जल जीवन मिशन जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत 5 जागरूकता रथ का आयोजन भी सीहोर जिले में किया गया। जागरूकता रथ के दौरान गांव स्तर पर समुदाय के साथ बैठक कर पेयजल प्रबंधन, गंदे पानी का

समर्थन द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग कांकेर व जिला प्रशासन के साथ मिलकर जल जीवन मिशन पर जागरूकता कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस जल जीवन मिशन रथ को 26 जनवरी 2021 (गणतंत्र दिवस) के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री श्री कवासी लखमा जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया है। इस जागरूकता कार्यक्रम में पेयजल प्रबंधन, गंदे पानी का प्रबंधन, भू जल संरक्षण, जल गुणवत्ता परीक्षण एवं पेयजल व्यवस्था पर सामुदायिक चर्चा आयोजित की गई।

प्रबंधन, पेय जल गुणवत्ता जैसे विषयों पर चर्चा कर जानकारी प्रदान की गई।

पंचायत और विकास समाचार

मां की पाठशाला : कोविड में पढ़ाई का अनूठा उदाहरण

भोपाल की हजारों माताओं ने बीड़ा उठाया और पंचायत तथा शिक्षा विभाग के समन्वय से जिले के सैकड़ों गांवों में चलने लगीं 'माँ की पाठ शालाएं।' कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों की इन शालाओं का समय भी ये माताएं ही तय करती हैं और पंचायत की बड़ी एंड्राइड टी.वी पर गांव के ही शिक्षकों के मार्फत शुरू हो जाती है पढ़ाई। इस दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि 2 घण्टे की इस क्लास में 15 से ज्यादा बच्चे ही आये, आखिर कोरोना से भी बच्चों को सुरक्षित भी रखना है। (**आलेख: एन रघुरामन। संकलन: पंकज पाण्डे**)

भोपाल। क्या आपने कभी कल्पना की है कि गांव की एक आर्थिक रूप से कमजोर तबके की महिला आईएएस कैडर के किसी सरकारी अधिकारी को उसके निजी मोबाइल पर फोन कर कह सकती है कि 'मैं फलां गांव से बोल रही हूं, हमारे बच्चे खेल-खेलकर थक चुके हैं, अब वे कुछ समय पढ़ना चाहते हैं, क्या आप मदद कर सकते हैं।'

आप और मैं चौंक सकते हैं कि उस गरीब को अधिकारी का निजी नंबर कैसे मिला। लेकिन भोपाल, मध्य प्रदेश के जिला पंचायत अधिकारियों को आश्चर्य नहीं हुआ। क्योंकि वे जानते हैं कि हर गांव के पंचायत कार्यालयों की दीवार पर उनके नाम-नंबर लिखे हैं। लेकिन वे इससे चौंके कि बच्चे खेल-खेलकर थक चुके हैं। वे सोच रहे थे, ऐसा कैसे हुआ? जवाब जानने के लिए वे किसी बोर्डरूम मीटिंग के लिए नहीं गए। बल्कि गांव गए और वहां रातभर रुके। और अगले दिन सूर्योदय के साथ तस्वीर स्पष्ट हो गई। शहरी सरकारी स्कूलों के शिक्षक जहां काम करते हैं, उसी शहर में रहते हैं, लेकिन ग्रामीण सरकारी स्कूलों के शिक्षक शहर में रहना पसंद करते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। जैसे अपने बच्चों को शहर के निजी स्कूलों में पढ़ाना, बुजुर्ग माता-पिता के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता आदि। कुछ मामलों में पति/पत्नी शहर में काम करते हैं। ऐसे शिक्षकों की संख्या 75-80त्न है। इसका गांव के बच्चों पर गहरा असर पड़ता है। वे शिक्षकों से सिर्फ स्कूल के समय मिल पाते हैं।

चूंकि स्कूल मार्च के बाद से नहीं खुले हैं और सरकार ने इन्हें मार्च 2021 तक बंद रखने का फैसला लिया है, शहरों में रह रहे गांव के ये 80त्न शिक्षक भौतिक रूप से पूरी तरह अनुपस्थित रहे हैं और वर्चुअल उपस्थिति से नौकरी कर रहे हैं।

लेकिन ग्रामीणों की अलग समस्या है। उनके पास स्मार्टफोन, टीवी, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है और सबसे जरूरी, बिजली आपूर्ति अनियमित है। यहां तक कि शिक्षा की कमी पूरी करने का दूरदर्शन का प्रयास भी कम असरदार हो गया है, क्योंकि वे इसका अच्छे से विज्ञापन नहीं कर पाए और बिजली आपूर्ति खराब है।

इसीलिए करीब 170 ग्रामीण पंचायतों का काम देखने वाले भोपाल के जिला पंचायत अधिकारी 'भोपाल मॉडल' लेकर आए, जो करीब 50 गांवों में सफल हो चुका है और जनवरी 2021 के पहले हफ्ते तक बाकी की ग्रामीण पंचायतों में भी लागू होने की उम्मीद है।

भोपाल मॉडल क्या है?

इस पाठशाला का लाभ जिले के ग्रामीण

क्षेत्र के शासकीय स्कूलों में कक्षा 3 से 5 तक के दर्ज लगभग 4500 विद्यार्थियों को मिल रहा है। 119 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर मां की पाठशाला का संचालन हो रहा है। इन पाठशालाओ से 1054 गांव की बुजुर्ग महिलाएं जुड़ चुकी है। जनवरी के प्रथम सप्ताह से सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 'मां की पाठशाला' संचालित हो। समन्वय के साथ इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। जिन बच्चों के घर पर एंड्राइड मोबाइल भी नहीं है। उन बच्चों को बड़ी टीवी पर अपनी कक्षा का कोर्स देखते-पढ़ते हुए आनंद प्राप्त हो रहा है। प्रत्येक दिवस मात्र 15 बच्चे आते हैं। अधिक संख्या की स्थिति में अल्टरनेट दिनों में व्यवस्था की गई है। दो गज दूरी एवं मास्क है जरूरी के अंतर्गत सभी मास्क लगाकर आते है एवं पर्याप्त दूरी पर बैठकर अपना ज्ञान वर्धन करते हैं।

अधिकारी दो अलग-अलग विभाग, शिक्षा और पंचायत तथा ग्रामीण विकास को साथ लाए, जिन्हें आमतौर पर अकेले काम करने के लिए जाना जाता है। इससे वे दोनों के संसाधन एकसाथ इस्तेमाल कर पाए। आमतौर पर पंचायत भवन में सभी सुविधाएं होती हैं, लेकिन वे ज्यादातर खाली पड़े रहते हैं। इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि वे एक अच्छे टीवी के साथ पेन ड्राइव देंगे, जिसमें सभी स्वीकृत पाठ्यक्रम होंगे। उन्होंने इसमें सेवानिवृत्त शिक्षकों के साथ गांव में रहने वाले शिक्षक जोड़े।

अंतिम लाभार्थियों यानी छात्रों से कहा गया कि वे टाइमटेबल बनाएं और तय करें कि कोविड प्रोटोकॉल को तोड़े बिना कौन, किस दिन कक्षा में आएगा। इस बीच गांव की माताओं को जिम्मेदारी दी गई कि वे बारी-बारी से

इस पाठशाला का लाभ जिले के ग्रामीण क्षेत्र के शासकीय स्कूलों में कक्षा 3 से 5 तक के दर्ज लगभग 4500 विद्यार्थियों को मिल रहा है। 119 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर मां की पाठशाला का संचालन हो रहा है। इन पाठशालाओ से 1054 गांव की बुजुर्ग महिलाएं जुड़ चुकी है। जनवरी के प्रथम सप्ताह से सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर मांमां की पाठशालामां संचालित हो। समन्वय के साथ इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। जिन बच्चों के घर पर एंड्राइड मोबाइल भी नहीं है। उन बच्चों को बड़ी टीवी पर अपनी कक्षा का कोर्स देखते-पढ़ते हुए आनंद प्राप्त हो रहा है। प्रत्येक दिवस मात्र 15 बच्चे आते हैं। अधिक संख्या की स्थिति में अल्टरनेट दिनों में व्यवस्था की गई है। दो गज दूरी एवं मास्क है जरूरी के अंतर्गत सभी मास्क लगाकर आते है एवं पर्याप्त दूरी पर बैठकर अपना ज्ञान वर्धन करते हैं।

पूरी कक्षा में रुकें, यह देखने के लिए कि उनके बच्चों ने उस दिन क्या पढ़ा। इसीलिए कक्षा को 'मां की पाठशाला' नाम दिया गया, जो उपयुक्त है।

छात्र वहां लाइब्रेरी भी चलाते हैं, जिसमें व्यवस्थाएं वे स्वयं देखते हैं। अब पास के शहर में रहने वाले गांव के शिक्षक भी यह सरगर्मी महसूस कर रहे हैं और धीरे-धीरे योगदान देने के लिए लौट रहे हैं। क्योंकि उन्हें अहसास हो चुका है कि उनके बिना भी बच्चों का काम चल सकता है। गांव की माताओं ने साबित कर दिया कि 'आत्मनिर्भर' शब्द के सच्चे मायने क्या हैं। फंडा यह है कि आधारभूत मुद्दों पर ध्यान दें और बड़ी संख्या में लोगों की समस्या हल करने के लिए प्रभावित लोगों को भी शामिल करें।

प्रेरणा

महिलाओं ने बदली गांव की तस्वीर

मणिपुर के कीरेम्बिखोक गांव की 80त्न महिलाएं फर्नीचर बना रहीं, कमाई बढ़ी तो बोर्डिंग स्कूल में कराए बच्चों के एडमिशन

इंफाल (मणिपुर)। मणिपुर राज्य की यह कहानी पूरे देश के लिए प्रेरणादायी है। यहां महिलाओं के प्रयासों से उन्हें नई पहचान मिली और गांव के लोगों को रोजगार। बताया जाता है कि आज इस गांव में कोई भी बेरोजगार नहीं है।

मणिपुर की राजधानी इंफाल से 32 किमी दूर बसा तोबल जिले का गांव-कीरेम्बिखोक। करीब 1500 की आबादी वाले इस गांव की खासियत यह है कि यहां की 80त्न महिलाएं कारपेंटर (बढ़ई) का काम करती हैं। यानी आरी, रंदा और वसूला चलाकर फर्नीचर से लेकर दरवाजे-चौखट तक बनाने का काम कर रही हैं। यह काम वे शिफ्ट में करती हैं। यानी, घर के काम के बाद समय निकाल कर सुबह 7 से 11 बजे और दोपहर डेढ़ से पांच बजे तक। एवज में हर महीने 8

से 10 हजार रुपए तक कमा रही हैं। इस गांव की एक और पहचान है। यहां कोई बेरोजगार नहीं है। पति के साथ काम में हाथ बंटाने से परिवार की कमाई दोगुनी हो गई और गांव का हरेक सदस्य बच्चों को बेहतर भविष्य देने में जुट गया है। गांव का हर बच्चा स्कूल जाता है और गांव पूरी तरह नशामुक्त है।

गांव की अहोमसांगबाम राधामणि बताती हैं कि 20 साल पहले मेरे पति ही कारपेंटरी का काम करते थे। उनकी अकेले की कमाई से घर का खर्च पूरा नहीं होता था। मुझे खेतों में भी काम नहीं मिला, इसलिए मैंने तय कर लिया कि फैक्ट्री में पति का हाथ बटाऊंगी। मैंने फैक्ट्री मालिक कांगजम इनाओबी से काम मांगा। उनके हामी भरते ही मैं इस काम में जुट गई।

हफ्तेभर के अंदर गांव की पांच-छह अन्य महिलाएं भी मेरे साथ काम करने लगीं और आज अधिकांश महिलाएं इसी काम में जुटी हुई हैं। गांव में हर हाथ को काम देने वाली फर्नीचर कंपनी के मालिक कांगजम कहते हैं, 'मेरे लिए हैरानी की बात यह है कि महिलाओं ने इस काम को पुरुषों का ही काम नहीं समझा। पति के साथ कारपेंटरी के काम को सीखकर उन्होंने यह साबित कर दिया कि वे भी पुरुषों के मुकाबले उन्नीस नहीं हैं। नतीजा यह निकला कि यहां का हरेक परिवार 20-30 हजार रुपए से ज्यादा कमा रहा है।'

हौसला: अपनी कमाई से ही कर्ज चुकाती है महिलाएं : कीरेम्बिखोक गांव के सेलाइबाम जीबन बताते हैं कि गांव के एक व्यक्ति के हौसले ने पूरे गांव की तस्वीर बदल दी। महिलाएं अब स्व सहायता समूह से लिए गए कर्ज को अपनी कमाई से ही चुकाती हैं। बच्चों को राजधानी के बोर्डिंग स्कूलों में शिक्षा दिलवा रही हैं। एक समय ऐसा भी था, जब वे बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भी भर्ती नहीं करवा पाती थीं।

प्रकाशन समर्थन, भोपाल :

सम्पादक मंडल: पंकज पांडे, जीत परमार, ज्ञानेन्द्र तिवारी, शोभा लोधी, सादमा खान, नेहा छावड़ा, राहूल निगम, नारायण परमार, मनोहर गौर, विनोद चौधरी

पता : 36 ग्रीन एवेन्यू, चूना भट्टी, भोपाल। परस्पर सम्पर्क हेतु प्रकाशित, मो.9893563713